

फरीदाबाद

मजदूर समाप्ति

सहृदय नेटवर्क द्वारा बनाये गए अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 252

1/-

जून 2009

क्षय-क्षय नहीं करना लेहतर होगा

पहली मई। लखानी चप्पल फैक्ट्री (122 सैकटर-24) में इंजेक्शन मोल्डिंग, हवाई, कोल मोल्डिंग (अपर वाली चप्पल) विभागों में चप्पलों का निर्माण। चौबीसों घण्टे कार्य। तीन मंजिल – कब्रि में सोल कटाई व धिसाई। कार्टन। पैकिंग विभाग। रसायन ही रसायन चारों तरफ। इंजेक्शन मोल्डिंग बड़ा विभाग। कोल मोल्डिंग में ही 600 मजदूर..... पूरी फैक्ट्री में 4500 होंगे। तीन महीने से कोल मोल्डिंग में कार्य कर रहे और पेट दर्द के कारण ड्युटी नहीं जाने से बचे मजदूर द्वारा बताई सँख्या क्या अतिश्योक्तिपूर्ण है? पता नहीं। कम्पनी चुप। सरकार चुप। कुछ मजदूर पक्षधर लोग सँख्या 1500 बताते हैं – आग लगी तब 425 या 600 कार्यरत थे तथा 150 लोग ओवर टाइम के पैसे लेने की पंक्तियों में। ज्यादातर मजदूरों की हाजिरी कागज के फर्झे पर। अधिकतर मजदूर पैदल फैक्ट्री पहुँचते थे। डेढ़ सौ जली साइकिलें। जो घायल अस्पतालों में पहुँचे वे आग लगने के समय कार्यस्थलों पर नहीं थे, पानी-पेशाब के लिये इधर-उधर फैक्ट्री की चारदीवारी में थे। अस्पताल पहुँचाये गये 38 में 5 के ही ई.एस.आई.आई.पी. नम्बर थे और एक बाहर से आया हुआ ड्राइवर.... इस पर चौतरफा चुप्पी। फार्म 86 – पीछे की तारीख डालने के लिये। तीन कंकाल और 12 अस्पतालों में मरे। अधिकतर मजदूर दसवीं-बारहवीं कर दूरदराज से आये और किराये के कमरों में रहते लड़के। फरीदाबाद में रहते परिजनों ने 5 के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। दो महीने यहाँ, चार महीने वहाँ के कारण दूर रहते परिजनों को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे किसी समय कहाँ काम कर रहे हैं। 21 मई को काम ढूँढ़ने व्हर्लपूल जा रहे मोहन ने बताया: गाँव से आया हूँ – भाई रामपाल 3-4 महीने से उस फैक्ट्री में था, लौटा नहीं, पता ही नहीं लगा, कागज हैं और कम्पनी ने कहा है कि बाद में देखेंगे, बड़े भाई को यहाँ बुलाया है..... 22 मई को ड्युटी जाते एक मजदूर: मेरे 5 मित्र वहाँ काम करते थे, उस दिन 3 ड्युटी नहीं गये थे तथा एक ओवर टाइम के पैसे ले कर लौट आया था पर जो ड्युटी पर था वह नहीं लौटा और अस्पतालों में भर्ती लोगों में भी नहीं था..... मुजेसर में एक मकानमालिक: ड्युटी गये तीन लड़के नहीं लौटे, कमरों पर ताले लगे हैं.....

गति, अधिक गति तथा चमक-दमक, अधिक चमक-दमक का उत्पादन ऐसी खतरनाक रिश्तियाँ उत्पन्न करता है कि सुरक्षा के कोई प्रबन्ध हो ही नहीं सकते। और फिर, प्रतियोगिता का बोलबाला, बढ़ता बोलबाला तथाकथित सुरक्षा प्रबन्धों का धड़ल्ले से उल्लंघन लिये हैं। मण्डी-मुद्रा के पक्षधर अपने स्वयं द्वारा निर्धारित “सुरक्षा” पैमानों के पालन में बुरी तरह असफल हैं – इनकी असफलता इनकी इच्छा से परे की चीज है, यह एक अनिवार्यता है।

●नियमों-कानूनों की वारतविकता हिस्सा-पत्ती के लिये खींचातान और मजदूरों पर लाठियाँ-गोलियाँ बरसाने के समय के लिये हैं।

– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, दिल्ली-गुडगाँव-फरीदाबाद-नोएडा रिश्त फैक्ट्रियों में काम करते 70-75 प्रतिशत मजदूर दस्तावेजों में होते ही नहीं। कम्पनियों-मैनेजमेन्टों के मुताबिक और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकारों के अनुसार फैक्ट्रियों में काम कर रहे तीन-चौथाई मजदूर वहाँ काम नहीं कर रहे होते।

– फरीदाबाद रिश्त फैक्ट्रियों में हर वर्ष हजारों मजदूरों की उँगलियाँ कटती हैं.....

– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सब फैक्ट्रियों में ओवर टाइम काम करवाया जाता है। कम्पनियाँ 98 प्रतिशत ओवर टाइम को दिखाती ही नहीं। और, कानून अनुसार दुगुनी दर से भुगतान तो अपवाद है।

– फैक्ट्रियों में कार्य करते मजदूरों में पेशेगत बीमारियों की भरमार है। फरीदाबाद में लाखों मजदूर इन बीमारियों से पीड़ित हैं.....

दो और दो चार के संकीर्ण दायरे वाला विज्ञान भी यह गिनतियाँ कर सकता है पर मण्डी-मुद्रा का वाहक विज्ञान निहित स्वार्थवश यह करेगा नहीं। मन की बात करें तो प्रत्येक मजदूर का मन प्रतिदिन सौ बार तो मरता ही है और आज शायद ही कोई हों जिनके मन दिन में कई-कई बार नहीं मरते।

●भारत सरकार के क्षेत्र में ही सड़कों पर वाहनों की चपेट में आ कर ही हर वर्ष एक लाख लोग मर रहे हैं और आठ-दस लाख लोग बुरी तरह घायल हो रहे हैं.....

कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हर समय हर कोई खतरे में है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक का दाँव पर लगे होना वाले हालात हैं। अनिश्चितता और असुरक्षा का बोलबाला है। और, प्रत्येक बहुत-कुछ करती-करता है। किसलिये करते हैं? यह अधिक मूल प्रश्न है और इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। आईये साँस लेने-साँस लेते रहने के बारे में यहाँ कुछ तात्कालिक बातें करें। एक की जहाँ माँग है वहाँ एक सौ उपरिथित हैं के हालात में चर्चा करें।

★अधिक हाथ ओवर टाइम के दौरान करते हैं। फैक्ट्री-दफ्तर-स्कूल साँस की तकलीफों और पेट के रोगों के घर हैं। एक स्थान, एक अवरथा में रहना तन की पीड़ा के संग मन के रोग लिये हैं। अतः ओवर टाइम किसी प्रकार की राहत पहुँचाने की बजाय परेशानियाँ बढ़ाती हैं। जबरन रोकते हैं तब भी बचने के प्रयास करना बनता है। जहाँ कुछ छूट हो वहाँ दो पैसे अतिरिक्त के फेर में ओवर टाइम पर रुकना स्वयं अपने हाथ

काटना है। और, ओवर टाइम प्राप्त करने के लिये चुगली व चमचागिरी करना अपना आज तथा कल, दोनों खराब करना है।

★देर से पहुँचने पर डॉटेंगे, वापस कर देंगे, निकाल देंगे के डर से ट्रेन के आगे से भाग कर निकलना अथवा चलती ई एम यू में चढ़ना अपने हाथ-पैर के संग जान को दाँव पर लगाना है। स्वयं इन से बचना और दूसरों को चेताना बनता है।

★अरजेन्ट कम्पनियों का सूत्र है। इसे अपना मन्त्र नहीं बनाना। माल जाना ही है – शिपमेन्ट के चक्कर में स्वयं को झोंक देना अपनी कब्र खोदना है। धमकी और पुचकार की काट में दिमाग लगाना चाहिये। अरजेन्ट का जाप करती कम्पनियाँ स्वयं दिवालिया हो रही हैं।

★थोड़े लाभ अथवा हानि कम करने के फेर में सहकर्मियों-पड़ोसियों के संग चालाकियों में बहुत समय व ऊर्जा व्यय की जाती है। यह चालाकियाँ हमारे आगे ही अत्याधिक सिमटे जीवन को और सिकोड़ती हैं। स्वयं नहीं करना और सहकर्मियों-पड़ोसियों की चालाकी को तूल नहीं देना हम सब के लिये राहत लिये होता है। छोटे नुकसान जानते हुये खीकार करना हँसने-बोलने के लिये जमीन बचाये रखता है, बढ़ाता है।

★अच्छे, गहरे, व्यापक सम्बन्ध जीवन का रस हैं। रिश्ते हमें पगलाने से, अधिक पगलाने से बचते हैं। सम्बन्धों के लिये प्राथमिक आवश्यकता पैसे नहीं बल्कि समय है। अपने स्वयं के लिये समय, अपने बनाने के लिये समय निकालने के जुगाड़ करना हमारी बुद्धि के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होना चाहिये। (बाकी पेज तीन पर)

कानून हैं शोषण के लिये, छूट है कानून से परे शोषण की

एस पी एल इन्डस्ट्रीज मजदूर : “प्लॉट 47-48 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 225 कैजुअल वरकर और चार ठेकेदारों के जरिये रखे 350 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में ऋचा एण्ड कम्पनी, ओरियन्ट क्राफ्ट, राय फैशन, कनिका एक्सपोर्ट, महारानी एक्सपोर्ट, ग्लोबल फैशन, गोकुलदासआदि द्वारा भेजे जाते कपड़ों की रंगाई तथा छपाई करते हैं। फैक्ट्री में स्थाई मजदूर एक भी नहीं है। सब कैजुअल वरकरों को, ऑपरेटरों को भी हैल्परों के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन, 3840 रुपये देते हैं। कैजुअलों का महीने में 150-250 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। लगातार 36 घण्टे रोकने पर भी रोटी के लिये पैसे नहीं। ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों में किसी की भी ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं। दो ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को 12 घण्टे रोज पर 30 दिन के 3600 रुपये तो तीसरे के जरिये रखों को 3900 रुपये। बहुत तकलीफदायक काम के लिये मजदूर नहीं मिलने के कारण चौथे ठेकेदार के जरिये रखे 50 मजदूरों को 8 घण्टे रोज पर 26 दिन के 4000 रुपये। कैजुअलों को कम्पनी 12 घण्टे में 3 कप चाय देती है, ठेकेदारों के जरिये रखे अपने पैसों से पीयें। कैजुअलों को अप्रैल की तनखां 7 मई को दी, ठेकेदारों के जरिये रखों को 20 मई को। कैन्टीन नहीं है।”

लखानी फुटवीयर श्रमिक : “प्लॉट 266 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 20 मई को मैनेजमेन्ट ने सूचना टाँगी कि 21 मई से 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम होगा। तीन महीने से तीन शिफ्ट थी, कुछ को ओवर टाइम पर रोकते थे पर दस्तावेजों में दिखाते नहीं थे। ओवर टाइम डेढ़ की दर से। यहाँ एडिडास तथा रीबॉक के जूते बनते हैं और इनके लोग आते हैं तब सफाई, दस्ताने, कहना ओवर टाइम नहीं होता। निर्धारित उत्पादन सीमा से पार – पानी पीने जाने पर भी टोकते हैं, लैट्रीन का समय देखते हैं, कैजुअल वरकरों को बहुत गाली देते हैं। एडीडास की मोल्ड बहुत भारी, 150 किलो की – दो लोग ही उठाओ! मोल्डिंग में लगातार खड़े रहना, रबड़ के सोल बनते हैं, बहुत गर्म काम है, दस्ताने नहीं देते। अस्सी किलो की गर्म डाइयॉ गिरती रहती हैं। मोल्डिंग तथा स्पलिटिंग में ज्यादा एक्सीडेन्ट होते हैं। एडीडास व रीबॉक वालों के आने पर 2 घण्टे के लिये सेफ्टी जाली लगा देते हैं और फिर ऊरन्त वापस ले लेते हैं – कहते हैं 10,000 रुपये की है! पाउडरों को तोलने वालों का बहुत बुरा हाल, अक्सर बीमार रहते हैं। कैन्टीन की हालत बहुत खरस्ता – 2 रुपये वाली चाय 50 पैसे लायक, 10 रुपये में भोजन में 5 ग्राम वाली 5 रोटी और सब्जी बिलकुल पानी-पानी।”

प्रणव विकास कामगार : “45-46 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में चाय रात 8 बजे रख देते हैं – रात 12 और सुबह 4 बजे उसे ही पीओ। कम्पनी का ध्यान सिर्फ उत्पादन पर। धमकी, जबरन ओवर टाइम सिंगल रेट से। हर

वर्ष अप्रैल में सब मजदूरों की तनखा में 150-400 रुपये की वृद्धि करते थे, इस बार नहीं की। ठेकेदार के जरिये रखे मजदूरों को वर्ष में दो वर्दी देते थे, वे भी बन्द कर दी हैं। यहाँ मारुति सुजुकी, महिन्द्रा, टाटा वाहनों का काम होता है।”

शोवा इण्डिया वरकर : “प्लॉट 212-13 सैक्टर-58 स्थित फैक्ट्री में 300 मजदूर काम करते हैं – सब एक ठेकेदार के जरिये रखे हैं। तीन शिफ्ट 8-8 घण्टे की, रिलीवर नहीं आने पर जबरन रोकते हैं। ओवर टाइम सिंगल रेट से और घण्टों में गड़बड़ी भी। गाली देते हैं। यहाँ मुख्यतः मारुति सुजुकी के स्टेयरिंग बनते हैं और सब मजदूरों को अकुशल श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन देते हैं। छोड़ने पर फण्ड के लिये गुडगाँव के चक्कर काटने पड़ते हैं।”

कटलर हैमर मजदूर : “20/4 मध्युरा रोड स्थित फैक्ट्री में 4 ठेकेदारों के जरिये रखे हजार-डेढ़ हजार मजदूरों का हर वर्ष 31 मार्च को ब्रेक करते हैं और 5-7 दिन बाद फिर रख लेते हैं। इस बार नये सिरे से भर्ती के लिये 6 अप्रैल को बुलाया और वापस कर 15 को आने को कहा। 15 को भी वापस भेजा और 22 अप्रैल को भर्ती किया। तनखा बढ़ाने की कहते हैं परन्तु अकुशल श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन ही देते हैं, जबकि अधिकतर कार्य कुशल प्रकृति का है।”

सरकारी कर्मचारी : “मार्च-अप्रैल में अनाज खरीदने के लिये हरियाणा सरकार गेहूँ ऋण के रूप में 7000 रुपये देती है। पी डब्लू डी (बी एण्ड आर) कर्मचारियों को यह राशि आज 21 मई तक नहीं दी है जबकि गेहूँ की फसल ठिकाने लग चुकी है।”

इको ऑटो वरकर : “प्लॉट 20 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में स्थाई मजदूरों ने अपनी बकाया राशियों तथा नये दीर्घकालीन समझौते के लिये दबाव डाला तो 24 अप्रैल को मैनेजमेन्ट ने 21 स्थाई मजदूर निलम्बित कर दिये और बाकी 19 के प्रवेश पर फार्म भरने की शर्त लगाई। कोई स्थाई मजदूर अन्दर नहीं गया और 100 कैजुअल तथा ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर रोक दिये। तब से स्थाई मजदूर फैक्ट्री गेट पर बैठे हैं और उप श्रमायुक्त के यहाँ मीटिंगें चल रही हैं। आज 22 मई तक मजदूरों को कुछ हासिल नहीं हुआ है।”

डी पी इंजिनियरिंग मजदूर : “प्लॉट 228 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2600 और ऑपरेटरों की 3000 रुपये। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की और जबरन 36 घण्टे भी रोक लेते हैं। ओवर टाइम सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. 300 मजदूरों में 5 की ही। यहाँ स्वराज, इण्डोफार्म, एस्कोर्ट्स, इन्टरनेशनल ट्रेक्टर के पुर्जे बनते हैं।”

एससार रस्टील-एलाइंड रस्टील श्रमिक : “10 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 200 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. किसी मजदूर की नहीं, स्टाफ की होंगी। हैल्परों की तनखा 2100-2200 और ऑपरेटरों की 3000 रुपये। ओवर टाइम

सिंगल रेट से। हाथ कटते रहते हैं, भगाते रहते हैं। गाली देते हैं। अधिकारियों को हफ्ता देते हैं।”

सुपर एज वरकर : “प्लॉट 109 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हरताक्षर पहले करवा लेते पर तनखा देरी से देते। इस बार 7 मई को दस्तखत करने को कहा तो मजदूरों ने इनकार कर दिया। अप्रैल की तनखा आज 22 मई तक नहीं दी है।”

ओसवाल इलेक्ट्रीकल श्रमिक : “48-49 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 12 घण्टे की ड्युटी के बाद रोकते हैं तब रोटी के लिये ऑपरेटर को 12 और हैल्पर को 9 रुपये देते हैं जबकि इन में तो सब्जी तक नहीं मिलती।”

कल्पना फोरजिंग कामगार : “प्लॉट 35-36 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से रात 8½ और रात 8 से अगली सुबह 8½ की दो शिफ्ट हैं। कम्पनी 12½ घण्टे में एक चाय-मट्टी देती है और 12½ घण्टे बाद रोकने पर तथा रविवार को रोटी के लिये 20 रुपये। कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती कियों को ओवर टाइम सिंगल रेट से। ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 12½ घण्टे रोज पर 26 दिन के 4200 रुपये, ई.एस.आई. है परन्तु पी.एफ. नहीं। यहाँ मुख्यतः जे सी बी के पुर्जे बनते हैं।”

रेसमेक्स वरकर : “प्लॉट 216 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में कैजुअल हैल्परों की तनखा 2600 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।”

सुपर एलॉय मजदूर : “62 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में करीब 1000 मजदूर हीरो होण्डा और टी वी एस मोटरसाईकिलों के पुर्जे बनाते हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे 200 मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं – कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती में भी कम की ही है। तीसों दिन काम, कोई छुट्टी नहीं। हैल्परों को 8 घण्टे रोज पर 30 दिन के 2500 और ऑपरेटरों को 2700-4000 रुपये। प्रतिदिन 12-16 घण्टे कार्य, ओवर टाइम सिंगल रेट से। ठेकेदारों के जरिये रखों को अप्रैल की तनखा 16 मई को दी।” वमानी ओवरसीज श्रमिक : “प्लॉट 137 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में कार्यरत 150 मजदूरों में 25 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ.।”

सुपर आटो कामगार : “प्लॉट 84 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 150 मजदूरों में से 10 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ.। ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों की तनखा 2400-3000 रुपये।”

ओमेगा ब्राइट रस्टील वरकर : “प्लॉट 109 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 60 कैजुअल वरकरों को तनखा 2800 रुपये देते हैं पर हस्ताक्षर 3840 पर करवाते हैं। ड्युटी 12 घण्टे की, ओवर टाइम सिंगल रेट से।”

हमारा प्रयास ‘मजदूर समाचार’ की महीने में 7000 प्रतियाँ फ्री बॉटने का है। इच्छा अनुसार रुपये-पैसे के योगदान का स्वागत है।

डाक पता : मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001

गुडगाँव में मजदूर

गौरव इन्टरनेशनल मजदूर : “ 208 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में फिनिशिंग विभाग में 100 मजदूरों की 12 घण्टे रात की ड्युटी और यह बदलती नहीं। इससे बीमार बहुत पड़ते हैं और फिर, ई.एस.आई. नहीं है (पी.एफ. भी नहीं)। गाली देते हैं, धक्के मारते हैं। कम्प्युटर इम्ब्राइट्री विभाग में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं, रात में 150 मजदूर रहते हैं, बदलते रहते हैं और इनकी ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। छुट्टी नहीं देते, गाली देते हैं। पीने का पानी खारा।”

ईस्टर्न मेडिकिट श्रमिक : “292 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में काम का बहुत दबाव... इतना घण्टे में चाहिये... हाथों में सूई चुभती रहती है। अप्रैल की तनखा कैजुअल वरकरों को 18 मई को दी और 3665 रुपये ही दी— जनवरी से देय डी.ए.के 176 रुपये नहीं दिये हैं।”

वीवा ग्लोबल कामगार : “ 413 उद्योग विहार फेज-3 स्थित फैक्ट्री में सिलाई कारीगर भारी गर्मी में काम करते हैं। पीने का पानी भी गर्म। डॉट ऊपर से। बीमार पड़ने पर नौकरी से निकाल देते हैं। कार्य करते-करते 22 मई को एक मजदूर बेहोश हो गया। ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं पर 3 महीने के फण्ड के पैसे नहीं मिलते। सुबह 9½ से रात 8 की ड्युटी, ओवर टाइम सिंगल रेट से।”

साहिबा इन्टरनेशनल वरकर : “ 75-ए सैक्टर-18 स्थित फैक्ट्री के बहुत कड़े अनुभव हैं। सुबह 9 से रात 10 तक रोज काम और महीने में 12-18 दिन रात 2 बजे तक रोकते। रविवार को साँच 4 या 6 पर छोड़ देते। ओवर टाइम सिंगल रेट से। गर्मियों में बहुत ज्यादा परेशानी। मैनेजर जोर से चिल्लाता, गाली देता, चुपके से शौचालय में जा कर देखता। ई.एस.आई. किसी मजदूर की नहीं थी, स्टाफ का पता नहीं। पी.एफ. राशि मनमर्जी से शालू इन्टरप्राइज के नाम से काटते और इसमें बहुत घपला। हाजिरी कच्चे रजिस्टर में, तनखा वाऊचर पर। साल-भर पहले हैल्परों को 8 घण्टे के 80-85-90 रुपये। पीने का पानी ठीक नहीं। लैट्रीन गन्दी, महिला मजदूरों के लिये एक और पुरुष मजदूरों के लिये 3—लाइन लगती। फ्रान्स, इटली, जापान से बायर आते उस दिन सफाई और मैनेजर उनके साथ रहता—जो 18 वर्ष से कम के दिखते उन्हें छाँट कर तीसरी मंजिल पर भेज देते। तबीयत खराब होने पर भी छुट्टी नहीं। मानेसर भेजा गया एक मजदूर वहाँ फैक्ट्री में लगी आग में बुरी तरह जला! तो हम मजदूरों में चन्दा कर उसके उपचार की चर्चा.... बात फैलने के डर से कम्पनी ने उसका इलाज करवाया। बाद में कम्पनी ने ठेकेदार से कहा कि वह मजदूर फैक्ट्री में काम नहीं करेगा क्योंकि वह दूर से ही जला हुआ दिखता है।”

कमल इन्टरप्राइज भर्ती मजदूर : “ ए-122 उद्योग विहार फेज-5 स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से रात 1 तक रोज काम, महीने के तीसों दिन। मार्च में मेरा 222 घण्टे ओवर टाइम, अप्रैल में 228 घण्टे और 15 मई तक 110 घण्टे। ओवर टाइम सिंगल

रेट से और हर महीने 8-16 घण्टे खा भी जाते हैं। पहुंचने में 10 मिनट की देरी पर गाली और एक घण्टा काट लेना। भोजन अवकाश के बाद छुट्टी करने पर पूरे दिन की अनुपस्थिति। हैल्परों को तनखा बताते 3500 हैं पर देते 2500 रुपये हैं। ऑपरेटरों का वेतन 3000-4500 रुपये। अप्रैल की तनखा 15 मई को दी। यहाँ सन्धार कम्पनीनेट्स, सैक्टर-7, आई एम टी मानेसर से आते हीरो होण्डा के पुर्जों की फिनिशिंग वाला कार्य 30 मजदूर करते हैं। मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। पीने का पानी नहीं—दूसरी फैक्ट्री में जाना पड़ता है। लैट्रीन नहीं है—दिन में छुट्टी कर कमरे पर जाओ और अनुपस्थिति लगवाओ, रात को बोतल ले कर सड़क पर जाओ।”

ओरचिड ओवरसीज श्रमिक : “133 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों में स्थाई की तनखा 3840, कैजुअल की 2800 और ठेकेदार के जरिये रखे की 2400 रुपये। 450 मजदूरों में से 50 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। शिफ्ट सुबह 8½ से रात 9 की और ओवर टाइम सिंगल रेट से भी कम, 12 से 15 रुपये प्रतिघण्टा।”

एस एण्ड आर एक्सपोर्ट कामगार : “ 298 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में डेढ़ साल से 10 घण्टे = 8 घण्टे कर रखा है। यहाँ ग्लास तथा ब्रास का भारी काम है, गाली देते हैं, मारपीट भी और 8 की बजाय 10 घण्टे कार्य पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देते हैं।”

सुरक्षा कर्मी : “ 74/2 छतरपुर रोड, मैदान गढ़ी, दिल्ली में कार्यालय वाली पेन्टागाँन सेक्युरिटी गार्डों से महीने के तीसों दिन 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में ड्युटी करवाती है। रोज 12 घण्टे पर 30 दिन के गार्ड को 3000 और सुपरवाइजर को 4000 रुपये। करीब 400 गार्डों में 20 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। अप्रैल की तनखा 18 मई को दी। गाली देते हैं, थप्पड़ भी।”

कंचन इन्टरनेशनल मजदूर : “ 872 उद्योग विहार फेज-5 स्थित फैक्ट्री में 150 मजदूर थे, अब 50 हैं। साल-भर से तनखा में देरी। मार्च 08 तथा बाद के महीनों की तनखायें श्रम विभाग में शिकायत पर अकदूबर में दी। दिसम्बर 08 से फिर देरी आरम्भ। 500-1000 रुपये करके देते हैं। कुछ को अप्रैल की तनखा दे दी है जबकि कुछ को जनवरी व फरवरी की तनखायें 21 मई को दी और मार्च व अप्रैल की आज 24 मई तक नहीं दी हैं। 2002 से करवाये ओवर टाइम के पैसे नहीं दिये हैं। पीने का पानी बहुत खराब। लैट्रीन गन्दी, दो में दरवाजे नहीं, एक में पानी नहीं। यहाँ एस्यास, वाल्टर, जोसा के लिये वस्त्र तैयार किये जाते हैं। कैजुअलों और ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।”

ज्योति एपरेल्स श्रमिक : “159 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में रोज 9%, से रात 1 तक काम, महीने के तीसों दिन। महीने में 150-200 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. 650 मजदूरों में से आधों की।”

ग्राफ्टी फैशन कामगार : “377 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को अप्रैल में रोज 10 घण्टे ड्युटी पर 26 दिन के 3665 रुपये दिये जबकि जनवरी 09 से सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिये 8 घण्टे रोज ड्युटी पर 26 दिन के 3840 रुपये कम से कम निर्धारित हैं।”

नीति क्लोथिंग मजदूर : “ 218 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में कार्यरत 650 मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। एक सौ महिला मजदूरों की तनखा 2600 रुपये। पीने का पानी गर्म। लैट्रीन बहुत-ही गन्दी। बायर आते हैं तब बहुत सफाई, दस्ताने, मार्क, साबुन, फस्ट एड में दवाई.... और उनके जाते ही सब पुराने ढर्रे पर। यहाँ एगा. पो आदि का माल बनता है।”

धीर इन्टरनेशनल, 299 फेज-2, छोड़ने पर फण्ड निकालने का फार्म नहीं भरते; **ऋचा एण्ड कम्पनी,** 239 फेज-1, ओवर टाइम दुगुनी दर से की जगह 2 घण्टे प्रतिदिन दुगुना और बाकी सिंगल रेट से कर के अब अप्रैल से सब सिंगल रेट से; **इनस्टाइल,** 140 फेज-1, अप्रैल की तनखा में डी.ए. के 176 रुपये जोड़े, जनवरी-मार्च का एरियर नहीं दिया, महीने में 80-120 घण्टे ओवर टाइम सिंगल रेट से, छुट्टी नहीं, तबीयत खराब पर भी गेट पास नहीं, गाली, लैट्रीन बहुत गन्दी; **सरगम,** 153 फेज-1, 2002-06 के फण्ड का फार्म तीन बार भरवाया, रिजेक्ट हो गया कहते हैं; **लोगवैल फोर्ज,** 116 फेज-1, दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की, ओवर टाइम सिंगल रेट से।

क्ष्या-क्ष्या नहीं करना....
(पेज एक का शेष)

पैसा हमारे समय को निगलता है।

*अपने को इक्कीस और दूसरों को उन्नीस दिखाने के लिये हम कितना-कुछ करते हैं। इन सब से बचना बोझतो घटायेगा ही, हमें बेहतरी की राह पर बढ़ायेगा भी।

मनहूस माहौल में आईये अपनी बेवकूफियों पर हैंसे। आईये हैंसे ताकि मनहूसियत कम हो।

01.01.2009 से हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा प्रतिमाह इस प्रकार हैं: अकुशल मजदूर (हैल्पर) 3840 रुपये (8 घण्टे के 48 रुपये), अर्धकुशल 3970 रुपये (8 घण्टे के 153 रुपये), अर्धकुशल ब 4100 रुपये (8 घण्टे के 158 रुपये), कुशल श्रमिक 4230 रुपये (8 घण्टे के 163 रुपये), कुशल श्रमिक ब 4360 रुपये (8 घण्टे के 168 रुपये), उच्च कुशल मजदूर 4490 रुपये (8 घण्टे के 173 रुपये), कम से कम का मतलब है इन से कम तनखा देना गैरकानूनी है। इस सन्दर्भ में 25-50 पैसे के पोस्ट कार्ड डालने के लिये कुछ पते:

- श्रीमान श्रम आयुक्त, हरियाणा सरकार 30 वेज बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़
- श्रीमान मुख्य मन्त्री, हरियाणा सरकार हरियाणा सचिवालय, चण्डीगढ़

दिल्ली में मजदूर

1.02.2009 से दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रतिमाह इस प्रकार हैं: अकुशल श्रमिक 3934 रुपये (8 घण्टे के 151 रु.), अर्ध-कुशल श्रमिक 4100 रुपये (8 घण्टे के 158रु), कुशल श्रमिक 4358 रुपये (8 घण्टे के 168रु)। 25-50 पैसे के पोस्टकार्ड से शिकायत के लिये पता: श्रम आयुक्त, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली 110054

उषा डायरी मजदूर: “बी-62 ओखला फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 85 मजदूर सुबह 9 से रात 8-9 तक रोज काम करते हैं और फिर पूरी रात भी रोक लेते हैं। ओवर टाइम दुगुनी की बजाय सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 2200-2500-3000 रुपये और यह पैन्सिल से लिखी होती है जबकि मजदूर से हस्ताक्षर पैन से करवाते हैं। इधर 15 दिन से फैक्ट्री में पीने का पानी नहीं आ रहा। लैट्रीन जाम है।”

पायनियर प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज श्रमिक: “ए-135 ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में काम करते 80 मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं—स्टाफ के 12 लोगों की ही हैं। दो शिफ्ट हैं 12-12 घण्टे की और साप्ताहिक छुट्टी नहीं है। मजदूरों को 12 घण्टे के 126 रुपये देते हैं।”

यूनिस्टाइल कामगार: “बी-51 ओखला फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 29 मई को एलिजा और मारा के लिये नई स्टाइल के वरत्रों की सिलाई आरम्भ हुई। 30 मई को काम करते 3 घण्टे हो गये थे तब 11.65 तथा 28.85 रुपये प्रति पीस सिलाई की दर पक्के तौर पर बताई। इस पर 40 सिलाई कारीगरों ने काम बन्द कर दिया। काम बन्द होने पर रेट 13 तथा 32 रुपये किये गये दर कारीगर राजी नहीं हुये और 17.80 तथा 40 रुपये की माँग की। सिलाई कार्य 30 मई को बन्द रहा और आज 31 मई को भी बन्द है—फैक्ट्री में साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती। सिलाई कारीगरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।”

कनोडिया होजरी मिल्स वरकर: “बी-14/2 ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2600 और ऑपरेटरों की 3000-3200 रुपये। अप्रैल की तनखा 14 मई को दी। सुबह 9½ से रात 8 तक रोज काम, ओवर टाइम सिंगल रेट से। करीब 150 मजदूरों में आधों की ही ई.एस.आई. व.पी.एफ.। फैक्ट्री में पीने का पानी खराब। नौकरी छोड़ने पर डेढ़ महीने तक के किये काम के पैसे नहीं देते। गाली देते हैं, मारपीट भी।”

उत्कर्ष प्रैस मजदूर: “डी-9/3 ओखला फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 2500-3000 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। गाली देते हैं। लैट्रीन गन्दी।”

आर जी सी इन्डस्ट्रीज श्रमिक: “सी-63/4 ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में स्थाई हैल्परों की तनखा 3900, कैजुअल हैल्परों की 3400 और ठेकेदार के जरिये रखे हैल्परों की 2500 रुपये। महीने में 100-150 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। 25 सिलाई कारीगर 8 घण्टे के 140 रुपये में और 125 टेलर पीस रेट पर। अभी काम कम है इसलिये फैक्ट्री में 300 मजदूर ही हैं। ई.एस.आई. व.पी.एफ. 30 मजदूरों की ही—स्टाफ वालों की भी। कैन्टीन नहीं है।”

वर्कशॉप वरकर: “282/2 बी मावी मोहल्ला, तेखण्ड, ओखला फेज-1 स्थित मैटल क्राफ्ट में वैलिंग, बफिंग, खराद के कारीगर गाड़ी से माल उतारने-चढ़ाने का काम भी करते हैं। साइटों पर कार्य करने नोएडा, गुडगाँव, फरीदाबाद भी भेजे जाते हैं। दो कारीगरों का रास्ते में एक्सीडेन्ट हुआ तो वर्कशॉप वाले ने उपचार करवाया पर 4 दिन की दिहाड़ी नहीं दी—दबाई लेने सफदरजंग अस्पताल गये उस दिन की भी दिहाड़ी नहीं दी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात 9 तक काम, रात 12 तक भी रोक लेते हैं—रविवार को साँय 6 तक ही। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और रात 12 तक रोकने पर भी रोटी के लिये पैसे नहीं। तनखा 2600-6000 रुपये। लैट्रीन बहुत गन्दी।”

गिरफ्तारियाँ

हरियाणा सरकार ने गाँवों के गरीबों के पक्षधरों की गिरफ्तारियाँ की हैं। पुलिस ने 20 अप्रैल से 5 जून के दौरान जागरूक छात्र मोर्चा के श्री संजय तथा उनकी पत्नी श्रीमती पूनम देवी को पानीपत से, डॉ. प्रदीप कुमार (एम बी बी एस) को कुरुक्षेत्र से, श्री चरण सिंह-श्री बिहू-श्री मुकेश-श्री मुन्नावर को गाँव भूड़ कलाँ से, श्री दिनेश कुमार एवं श्री सुभाष को बहादुरपुर से, श्री देवी लाल मोमदीवाला को इस्माइलपुर से, श्री संजीव कुमार को खिजराबाद से, श्री सम्राट एवं श्री प्रदीप कुमार को यमुनानगर से, श्री मदन लाल को डारपुर से, सुश्री सत्या कापड़ो को मछरौली से, श्रीमती गीता को हिसार से (उनके पति श्री राजेश पहले से ही हिरासत में हैं), श्री मुकेश को गाँव सारांग से, तथा श्री सुखविन्दर को जगाधरी से गिरफ्तार किया है। सी.डी.पोस्टर, पेन्ट, ब्रश भी आरोपों में हैं। अम्बाला मंडल के पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार इन गिरफ्तारियों से माओवादी संगठन का हरियाणा से पूरी तरह से सफाया हो गया है। (जानकारी 6 जून 09 के ‘पंजाब केसरी’ अखबार से)

दमन के जरिये सामाजिक असन्तोष पर नियन्त्रण रखना सरकारों का आचार-विचार है। बढ़ती पीड़ा के सिवा सरकारी हिंसा में और कुछ नहीं है। सामाजिक मौत और सामाजिक हत्या से रुबरु किसान, दस्तकार, गाँवों के गरीब आने वाले दिनों में उथल-पुथल बढ़ायेंगे ही। समाधान, सही समाधान मजदूरों-मेहनतकशों द्वारा नई समाज रचना के अलावा अन्य कोई नहीं दिखता। ग्रामीण गरीबों और शहरी गरीबों के बीच तालमेलों से राहें अवश्य निकलेंगी।

दैनिक रेल यात्री

मैं 6 वर्ष से फरीदाबाद-दिल्ली के बीच दैनिक रेल यात्री हूँ। भागमभाग और भारी भीड़, चलती ई.एम.यू. में चढ़ना, डिब्बों से बाहर निकले होना.... इन 6 वर्षों में मैंने कई एक्सीडेन्ट देखे हैं। शुक्रवार, 29 मई को गाड़ी बल्लभगढ़ स्टेशन से निकली ही थी कि एक छात्र का सिर सिग्नल से टकरा गया। मित्रों और मैंने लड़के को गाड़ी के अन्दर खींचा। सिर से रक्त बह रहा था और बेहोश था। हम ने तत्काल पुराने फरीदाबाद स्टेशन पर रेलवे पुलिस को सूचना दी। गाड़ी स्टेशन पर पहुँची तो वहाँ प्लेटफार्म पर रेलवे पुलिस उपस्थित नहीं थी। हम लोगों ने छात्र को स्टेशन पर उतारा और गाड़ी छोड़ दी। उस समय वह जीवित था। स्टेशन पर एम्बुलैन्स नहीं, डॉक्टर नहीं, फस्ट एड भी नहीं। घायल के साथ प्लेटफार्म पर हमें 10 मिनट हो गये तब रेलवे के लोग आये। रक्त बह रहा था.... उनके लिये यह सामान्य था जबकि हम उत्तेजित थे। रेलवे पुलिस वाले अभद्रता से पेश आये। घायल को स्टेचर पर लेटा कर बाहर लाये। आटोरिक्षा किराये पर कर जिला अस्पताल ले गये। फरीदाबाद जिला अस्पताल में वातावरण अत्यन्त दयनीय..... छात्र की मृत्यु हो गई।

— एक दैनिक रेल यात्री

एस्बेस्टस

एस्बेस्टस से सौंस लेने में अत्यधिक पीड़ा वाली एस्बेस्टोसिस बीमारी होती है। एस्बेस्टस से फेफड़े के कैन्सर का खतरा बढ़ जाता है। एस्बेस्टस का एक रेशा भी फेफड़ों तक पहुँच जाये तो इससे हुये नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। चालीस देशों की सरकारों तथा विश्व व्यापर संगठन ने यह मान लिया है कि एस्बेस्टस का सुरक्षित तथा नियंत्रित प्रयोग सम्भव नहीं है।

भारत सरकार ने भी एस्बेस्टस के खनन पर रोक लगा रखी है। लेकिन, एस्बेस्टस के आयात और प्रयोग की यहाँ स्वतंत्रता है। सरकार स्वयं जल, मल की पाइपों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, विद्यालयों की चदरों में धड़ल्ले से एस्बेस्टस का प्रयोग करती है। गाड़ियों के क्लच, ब्रेक शू सहित हजारों वस्तुओं में एस्बेस्टस इस्तेमाल हो रहा है। नेता और अधिकारी एस्बेस्टस के खतरों से परिचित हैं। उद्योग मन्त्रालय ने 1994 में तय किया था कि एस्बेस्टस प्रयोग करने वाली नई इकाई को औद्योगिक लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा। और, इन चार वर्षों में भारत में एस्बेस्टस का प्रयोग तीन गुण बढ़ा है। जो मजदूर एस्बेस्टस से सम्बन्धित काम करते हैं वे तो खतरे में हैं ही, उनके परिवार के लोग भी खतरे में हैं क्योंकि उनके कपड़ों से चिपक कर एस्बेस्टस घरों तक पहुँचता है। भारत में हुये पाँच सर्वेक्षणों से पता चला है कि एस्बेस्टस की वजह से सबसे ज्यादा फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं। (जानकारियाँ सुश्री पूनम के ‘यूनिब समाचार’ 22-28 दिसम्बर 08 अंक में लेख से ली हैं।)